Sir, let me tell you about the second programme. There will be IIT Council Meeting next month. Till now, all IITs went differently to different countries in an effort to recruit the faculty from the Indian diaspora comprising NRIs or CIO. What we are asking them now is to do the common bargaining. इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें और इस प्रयास से अच्छी faculty लाएं। यह चैलेंज है, क्योंकि अच्छे technologist तैयार होते हैं, उनको प्राइवेट से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केन्द्र सरकार ने भी सहूलियतें दी हैं। Faculty को हम फ्रीडम भी देंगे, उनको यहां consultancy का फ्रीडम भी मिलेगा और इस Institute of Eminence of graded autonomy में उनको variable pay की सुविधा भी मिलेगी।

श्री सभापतिः क्या आप अच्छी faculty देते समय जयराम जी जैसे लोगों को भी consider करेंगे?

श्री प्रकाश जावडेकरः उनको हमारा permanent invitation है। ...**(व्यवधान)**...

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विघटन

*23. **चौधरी सुखराम सिंह यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है किं मत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विघटित कर उच्च शिक्षा आयोग गठन करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वह कौन सी विसंगतियां हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा क्षेत्र में सुधार से रोक रही हैं और जिसे इसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता; और

(घ) नए आयोग के गठन के बाद शिक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम को निरस्त करने और शैक्षणिक अनुदेश की गुणवत्ता बढ़ाने, शैक्षणिक मानकों का अनुरक्षण करने और ज्ञान, नवाचार, ऊष्मायन (इन्क्यूवेशन), कौशलों और उद्यमिता के निःशुल्क अर्जन एवं सभी के लिए पहुंच, समावेशन और अवसरों को असान बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने तथा उच्चतर शिक्षा का व्यापक व सर्वांगीण विकास और एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में शोध उपलब्ध कराने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना करने हेतु भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार किया है।

(ग) यूजीसी की स्थापना के समय, देश में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या बहुत कम थी। उस समय केवल 20 विश्वविद्यालय थे और लगभग 500 कॉलेज थे जिनमें कुल अनुमानित नामांकन 0.21 मिलियन अनुमानित था। पिछले छह दशकों में भारत के उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के आकार, पैमाने और जटिलताओं में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है और अब इसे दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है जहां सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों में 900 विश्वविद्यालय और 40,000 कॉलज हैं। देश में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 25.2% है जिसमें कुल नामांकन लगभग 35.7 मिलियन अनुमानित है।

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होने से, विशेषज्ञ समितियों जैसे हरि गौतम समिति ने अनुशंसा की थी कि विनियामक को गुणवत्तायुक्त शिक्षण और शोध को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अत्यावश्यक सुधार हों। अब एचईसीआई विधेयक का मसौदा प्रस्तावित किया गया है ताकि वह आयोग उच्चतर शिक्षा से मानदंड सतर और गुणवत्ता बढ़ाने में अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा सके।

अब किसी संगठन में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए अनुदान संवितरण का कार्य नियत किए जाने का प्रस्ताव है जो आईसीटी समर्थित मंच के माध्यम से एक पारदर्शी, योग्यता-आधारित दृष्टिकोण पर कार्य करता है। प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, मुख्यतः शैक्षणिक अनुदेश की गुणवत्ता बढ़ाने, शैक्षणिक मानकों का अनुरक्षण करने और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, एचईसीआई के पास गुणवत्ता मानकों का अनुपालर करने और घटिया, फर्जी और नकली संस्थाओं को बंद करने का आदेश देने की शक्तियां होंगी।

(घ) एचईसीआई का फोकस, शैक्षणिक मानकों और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर होगा। अब विनियामक व्यवस्था का रूपान्तरण निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित किए जाने का प्रस्ताव हैः

(i) विनियामकों का कार्यक्षेत्र कम करना;

(ii) शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना;

(iii) प्रौद्योगिकी समर्थित मंच के माध्यम से एक पारदर्शी, योग्यता-आधारित दृष्टिकोण के आधार पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक पृथक इकाई में अनुदान संवितरण का कार्य नियत किए जाने का प्रस्ताव है;

(iv) एचईसीआई केवल शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केन्द्रित करेगा;

(v) यह विनियमन, पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटन, उच्चतर शिक्षा में मानकों और गुणवत्ता से संबंधित मामलों पर योग्यता-आधारित निर्णय के जरिए किया जाएगा;

(vi) एचईसीआई को शैक्षणिक अकादमिक मानकों में सुधार करने का अधिदेश दिया जाएगा

जिसमें विशिष्ट फोकस अधिगम परिणामों, संस्थाओं द्वारा अकादमिक निष्पादन के मूल्यांकन, संस्थाओं का मार्गदर्शन करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग इत्यादि पर होगा;

(vii) यह संस्थाओं को खोलने और बंद करने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु मानदंड बनाएगा, संस्थाओं को अधिक लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करेगा, संस्थागत स्तर पर समीक्षात्मक अगुवाई करने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए मानदंड निर्धारित करेगा चाहे विश्वविद्यालय किसी भी कानून के तहत शुरू किया गया हो;

(viii) इसके पास शैक्षणिक गुणवत्ता मानकों का अनुपालन कराने और घटिया और फर्जी संस्थाओं को बंद करने का आदेश देने की शक्तियां भी होंगी।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने शिक्षाविदों, हितधारकों और आम जनता से 20-07-2018 से पहले टिप्पणियां और सुझाव मांगने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक का मसौदा 27-06-2018 को पब्लिक डोमेन में रख दिया है। 15 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार, 7529 सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुए हैं जिसमें संसद सदस्य, राज्य सरकारें, शिक्षाविद, शिक्षक यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छात्र इत्यादि शामिल हैं, और जनता से मिले सुझावों के आधार पर अंतिम मसौदे में उपयुक्त परिवर्तन किए जा रहे हैं।

Dissolution of UGC

†*23.CH. SUKHRAM SINGH YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry is proposing to formulate a Higher Education Commission after dissolving the University Grants Commission (UGC);

(b) if so, the details thereof;

(c) the discrepancies that are obstructing UGC to bring reforms in education sector which cannot be removed by it; and

(d) the details of change proposed to be brought in education sector after the constitution of new commission?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Ministry has prepared a draft Higher Education Commission of India Bill, 2018 for repeal of the University Grants Commission (UGC) Act and

† Original notice of the question was received in Hindi.

setting up Higher Education Commission of India (HECI) for promoting the quality of academic instruction, maintenance of academic standards and autonomy of higher educational institutions for free pursuit of knowledge, innovation, incubation, skills and entrepreneurship, and for facilitating access, inclusion and opportunities to all, and providing for comprehensive and holistic growth of higher education and research in a competitive global environment.

(c) At the time of establishing the UGC, total number of Higher Educational Institutions were very small in number in the country. There were only 20 universities and nearly 500 colleges with a total enrolment estimated to be 0.21 million. Over the last six decades the size, scale and complexities of India's Higher Education Sector has increased manifold and it is now considered to be one of the largest Higher Education Systems in the world with over 900 universities and 40,000 colleges, both in public and private sector. The Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education in the country is at 25.2% with a total enrolment estimated to be about 35.7 million.

With the increase in number of Higher Educational Institutions, the expert committees such as Hari Gautam Committee recommended that the regulator should focus on promotion of quality teaching and research and usher measures to bring the much needed reforms in the higher education sector. The draft HECI Bill now proposes to enable the Commission to perform its role effectively in attaining standards and enhancing quality in higher education.

The grant disbursal function to Universities and Colleges is now proposed to be located in an entity which works in a transparent, merit-based approach through an ICT enabled platform. The proposed Higher Education Commission of India will focus largely on promoting the quality of academic instruction, maintenance of academic standards and grant of autonomy of higher educational institutions. Further, the HECI will have powers to enforce compliance to quality standards and to order closure of substandard, bogus and fake institutions.

(d) The focus of HECI will be on improving academic standards and the quality of higher education. The transformation of the regulatory set up is now proposed to be guided by the following principles:

i. downsizing the scope of the regulations;

ii. no more interference in the management issues of the educational institutions;

iii. the grant disbursal function to Universities and Colleges is proposed to be located in a separate entity based on transparent, merit-based approach through a technology enabled platform;

iv. the HECI would focus only on academic matters;

v. regulation would be done through transparent public disclosures, merit-based decision making on matters regarding standards and quality in higher education;

vi. the HECI will be tasked with the mandate of improving academic standards with specific focus on learning outcomes, evaluation of academic performance by institutions, mentoring of institutions, training of teachers, use of educational technology etc;

vii. it will develop norms for setting standards for opening and closure of institutions, provide for greater flexibility and autonomy to institutions, lay standards for appointments to critical leadership positions at the institutional level irrespective of University started under any Law;

viii. it will have powers to enforce compliance to the academic quality standards and will also have the power to order closure of sub-standard and bogus institutions.

Further, the Ministry has put the draft Higher Education Commission of India Bill, 2018 in public domain on 27.06.2018 for seeking comments and suggestions from educationists, stakeholders and general public before 20.07.2018. As on 15th July, 2018, 7529 suggestions/comments covering Members of Parliament, State Governments, academicians, teacher unions, Chambers of Commerce, students etc. have been received and appropriate changes are being made in the final draft based on public feedback.

MR. CHAIRMAN: Question No.23. Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

———